न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–163 सन् 2016

नागेश्वर सिंह.....वादी

बनाम

नागेन्द्र प्रसाद सिंह व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांक– 22.11.2021

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी दी गई है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 3 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 23.07.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि इस वाद के प्रतिवादी सं0 1 नागेन्द्र प्रसाद सिंह दिनांक 25.05.2021 को अपने जायज वारिसान एक मात्र दत्तक पुत्र अनिल कुमार सिंह को छोड़कर मर गए। न्यायहित में उनके स्थान पर उनके दत्तक पुत्र अनिल कुमार सिंह का नाम प्रतिस्थापित होने आवश्यक है। अतः निवेदन है कि उनके वारिसान का नाम प्रतिवादी सं0 1 नागेन्द्र प्रसाद सिंह को वादपत्र स काटकर उनके स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

प्रतिवादी की ओर से दिनांक 21.08.2021 को उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया जिसमें उनका कथन है कि वादी का आवेदन खारिज होने योग्य है। वादी का आवेदन बिल्कुल गलत कथनों पर आधारित है। अनिल कुमार सिंह दत्तक प्रत्र नागेन्द्र प्रसाद सिंह के नहीं हैं। उनके सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र में पिता का नाम बागेश्वर सिंह दर्ज है। वादी ने स्वयं दिनांक 27.11.2020 को अपने साक्ष्य के शपथ पत्र में कंडिका–13 में यह बयान किया है कि नागेन्द्र प्रसाद सिंह अवकाश प्राप्त करने के पश्चात् मेरे लड़के अनिल

कुमार सिंह के मकान हाजीपुर में रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में वादी का यह कथन कि नागेन्द्र प्रसाद सिंह का दत्तक पुत्र अनिल कुमार सिंह है, बिल्कुल गलत है। वादी ने आवेदन आदेश 22 नियम 3 के अंतर्गत दाखिल किया है। जब कि इस वाद में प्रतिवादी के मृत्यु हुई है। अतः वादी का आवेदन खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि इस वाद में नागेन्द्र प्रसाद सिंह प्रतिवादी थे। जबकि मृत्यु के बारे में यह प्रतिस्थापना आवेदन दाखिल किया गया है। वादी ने अपने प्रतिस्थापना आवेदन में दत्तक पुत्र अनिल कुमार सिंह के बारे में कथन किया है जिसका विरोध प्रतिवादी कीओर से यह कहते हुए किया गया है कि अनिल कुमार सिंह के सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र में उनके पिता का नाम बागेश्वर सिंह दर्ज है। ऐसी परिस्थिति में वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे दत्तक पुत्र का वैध प्रमाण पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

वाद दिनांक 03.01.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।